न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–1197/2026

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–79/2026

UPGZ010028012026

राहत अली पुत्र दाउद अली, निवासी–दौलतनगर लोनी, थाना–ट्रोनिका सिटी, जिला–गाजियाबाद----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–149/2021

धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट

थाना–ट्रोनिका सिटी, जनपद–गाजियाबाद

05.03.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–149/2021 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–ट्रोनिका सिटी, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से कासिम पुत्र राहत अली का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में जमानत पर था। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत दिनांकः 04.01.2022 को न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल किया गया, जिसके संबंध में अभियुक्त को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण अभियुक्त न्यायालय में नियत तिथियों पर उपस्थित नहीं हो सका तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत कर दिये। न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र के आधार पर अभियुक्त उक्त प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य है, अतः जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय से जमानत पाने के उपरांत न्यायालय में अनुपस्थित रहा है, जिस कारण पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही

अग्रसारित नहीं हो सकी, अतः आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने की याचना की है।

6– उभयपक्ष के तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के परिशीलन से परिलक्षित है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त राहत अली तत्कालीन न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन सं० 2598/2021 में पारित जमानत आदेश दिनांकः 10.06.2021 के अनुसार हस्तगत दाण्डिक प्रकरण में जमानत पर था एवं दौरान विचारण मुकदमा अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र के आधार पर कारागार में निरुद्ध है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष के सम्बंध में बिना कोई टिप्पणी किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त राहत अली की ओर से मु०अ०सं०–149/2021 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–ट्रोनिका सिटी, जिला गाजियाबाद प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन सं०–79/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त अंकन 1,00,000/– रुपए के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो नवीन, विश्वसनीय, सक्षम प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(i) आवेदक/अभियुक्त जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(v) आवेदक/अभियुक्त वाद के विचारण के दौरान साक्ष्यों से जिरह, बयान 313 द.प्र.स. तथा बहस के स्तर पर कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 03,
गाजियाबाद।

J.O. Code– UP6480